

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE, PART IV –EXTRAORDINARY DATED ]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**  
VI-LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT  
I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002.

Dated the: 21/10/21

**NOTIFICATION**

No.F.11(69)/DCF/PA/96/Pt I/6118-34:- In continuation of the Notification No. F.PA/Secy/Env/99/15/2485 dated 24<sup>th</sup> August, 1999, and in exercise of the powers conferred under section 5 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (11 of 1994) the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints subject to its control and subject to any general or special order of the Tree Authority referred to in section 3 thereof, all the four Deputy Conservators of Forest namely D.C.F. (Central), D.C.F (West), D.C.F (South), D.C.F (North ) as the Tree Officers in their respective territorial jurisdiction known as Central, West, South and North Forest Divisions, for the purposes of the said Act.

These appointments are in addition to the appointment of Conservator of Forests Delhi, as the Tree Officer.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

(Sanjeev Kumarwar)  
Principal Secretary (Env. & Forests)



**Copy forwarded to:-**

1. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. The Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister Govt. of NCT of Delhi.
3. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, 5<sup>th</sup> level, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
4. All Pr. Secretaries/ Secretaries/ HoD's, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Vice –Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation, Civic Centre, New Delhi.
7. The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation, Shahdara, New Delhi.
8. The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation, Hauz Khas, New Delhi.
9. The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Divisional Commissioner, 5<sup>th</sup>, Sham Nath Marg, New Delhi.
11. The Development Commissioner, 5/9, Under Hill Road, New Delhi.
12. The Commissioner of Police, Police HQ, Vikas Marg, New Delhi.
13. The Engineer-in-Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi, PWD Bhawan, Vikas Marg, New Delhi.
14. All Deputy Commissioners, Revenue/ All Deputy Commissioner of Police/ All Deputy Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi.
15. The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi with Hindi version (two copies each) for publication in the Delhi Gazette Part IV – Extraordinary and with the request to supply at least 10 copies of the Gazette to this Department for necessary action and record.
16. Programmer, Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi with the request to upload the Notification of the website of the Department.
17. Guard file.



(Sanjeev Khirwar)  
Principal Secretary (Env. & Forests)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-चार में प्रकाशनार्थ दिनांक )  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
**पर्यावरण ,वन एवं वन्य जीव विभाग**  
छठा तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. ईस्टेट, नई दिल्ली-02


दिनांक:-: 21/10/21

#### अधिसूचना

फा.स.11(69)/डी०सी०एफ०/पी०ए./96/पी०टी० // 6118-34 : अधिसूचना संख्या F.PA/Secy/Env/99/15/2485 दिनांक 24.08.1999 के निरंतरता में, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 5 (1994 के अधिनियम संख्या 11), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके नियंत्रण और किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन वृक्ष प्राधिकरण की धारा 3 में सभी चार उप वन संरक्षक अर्थात् डी०सी०एफ० (केंद्रीय), डी०सी०एफ० (पश्चिम), डी०सी०एफ० (दक्षिण) और डी०सी०एफ० (उत्तर) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर वन मंडलो के रूप में वृक्ष अधिकारी नियुक्त करती है।

ये नियुक्तियां वन संरक्षक दिल्ली के वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति के अतिरिक्त हैं।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(संजीव खिरवार)  
प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजनिवास, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, शाहदरा, नई दिल्ली।
9. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, पालिका केंद्र, नई दिल्ली।
10. संभागीय आयुक्त, पाँच, शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली।
11. विकास आयुक्त, 5/9, अंडर हिल रोड, नई दिल्ली।
12. पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, विकास मार्ग, नई दिल्ली।
13. इंजीनियर-इन-चीफ, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पीडब्लूडी भवन, विकास मार्ग, नई दिल्ली।
14. सभी उपायुक्त, राजस्व/ सभी उपायुक्त पुलिस/ सभी उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
15. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ दो प्रतियां (प्रत्येक की)। इस अधिसूचना की कम से कम 10 प्रतियां सरकारी प्रयोग के लिए इस विभाग को आवश्यक कार्रवाई एवं अभिलेख के लिए भिजवाने का कष्ट करें।
16. प्रोग्रामर, वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध हेतु।
17. गार्ड फाईल।



(संजीव खिरवार)

प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)